भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4641
दिनांक 21.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल से जल की सुलभता

†4641. श्री कार्ती पी. चिदम्बरमः

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत प्रत्येक घर को नल से जल उपलब्ध कराने के लक्ष्य को तीन वर्ष की विस्तारित अवधि, अर्थात् वर्ष 2028 तक प्राप्त करने के लिए वर्तमान में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

भारत सरकार अगस्त 2019 से राज्यों की भागीदारी से जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल कार्यान्वित कर रही है ताकि देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार हेतु कार्यशील नल जल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य जल का प्रावधान किया जा सके।

जल जीवन मिशन की की घोषणा के समय, 3.23 करोड़ (17%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किए गए अनुसार, 18.08.2025 तक, 12.45 करोड़ से अधिक और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 18.08.2025 तक, 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से लगभग 15.69 करोड़ (81.02%) परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है।

दीर्घकालिक स्थिरता और नागरिक केंद्रित जल सेवा सुपुर्दगी के लिए ग्रामीण पाइपगत जलापूर्ति योजनाओं के बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता तथा संचालन और रखरखाव पर ध्यान देने के साथ-साथ मिशन के निरंतर कार्यान्वयन के माध्यम से 100 प्रतिशत कवरेज प्राप्त करने हेतु, माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण 2025-26 के दौरान वर्धित कुल परिव्यय के साथ जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाने की घोषणा की है। 2025-26 में मिशन के सुचारू और त्वरित कार्यान्वयन के लिए, बजट अनुमान 2025-26 के रूप में 67,000 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

पूरे देश में जल जीवन मिशन की योजना बनाने और उसे तेजी से कार्यान्वित करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं, जिनमें *अन्य बातों के साथ-साथ,* राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की कार्यपरिपूर्णता योजनाओं और वार्षिक कार्य योजनाओं (एएपी) पर संयुक्त विचार-विमर्श करना और उनको अंतिम रूप देना, कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा करना, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, ज्ञान साझा करने के लिए कार्यशालाएं/सम्मेलन/वेबिनार, तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए बहु-विषयक दल द्वारा क्षेत्र दौरे, आदि शामिल हैं। जेजेएम के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत कार्यसंबधी दिशानिर्देश; ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने हेतु ग्राम पंचायतों और वीडब्ल्यूएससी के लिए मार्गदर्शिका तथा जल जीवन मिशन की आयोजना और कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों, आश्रमशालाओं तथा स्कूलों में पाइपगत जल आपूर्ति प्रदान करने हेतु एक विशेष अभियान के संबंध में दिशानिर्देश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किए गए हैं। ऑनलाइन निगरानी के लिए, जेजेएम-एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) और जेजेएम-डैशबोर्ड स्थापित किए गए हैं। सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से पारदर्शी ऑनलाइन वित्तीय प्रबंधन के लिए भी प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा, राज्यों के साथ किए गए समझौता ज्ञापनों में ग्रामीण जल आपूर्ति क्षेत्र को, *अन्य बातों के साथ-साथ, "स्रोत स्थिरता"* सहित *"विभाग आधारित दृष्टिकोण"* से *"सेवा सुपुर्दगी दृष्टिकोण"* में परिवर्तित करने के लिए संरचनात्मक सुधारों के लक्ष्यों के साथ-साथ नागरिक केंद्रित सेवा प्रदान करने के माध्यम से ग्रामीण पाइपगत जलापूर्ति योजनाओं के टिकाऊ और दीर्घकालिक संचालन एवं रखरखाव की भी परिकल्पना की गई है।

*****